

# कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश


राजस्थान सेवा नियम-56 एवं राज्य सरकार के संशोधित आदेश क्रमांक प.(16) वित्त /नियम/98 जयपुर दिनांक 24 मई, 2004 के अनुसार प्राध्यापक (भौतिक शास्त्र/गणित) को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या-05 में अंकित तिथि से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम प्राध्यापक एवं पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5
01	निजामुद्दीन, रायपुर(पाली)	भौतिक	10.04.51	30.04.2011
02	सीताराम खत्री, स्टेशन रोड़, बाड़मेर	भौतिक	30.07.51	31.07.2011
03	हीरालाल शाह, बनकोड़ा(डुंगरपुर)	भौतिक	01.09.51	31.08.2011
04	स्नेह होरा, बा0 रामपुरा, कोटा	भौतिक	19.09.51	30.09.2011
05	बाबूलाल शर्मा, नवीन, अलवर	गणित	01.05.51	30.04.2011
06	जितेन्द्र सिंह, पौद्धार, जयपुर	गणित	28.04.51	30.04.2011
07	जसवन्तसिंह पोरवाल, धरियावद, उदयपुर	गणित	15.04.51	30.04.2011
08	उम्मेदसिंह राठौड, तोपदड़ा, अजमेर	गणित	01.06.51	31.05.2011
09	प्रेमप्रकाश स्वामी, सार्दुल, बीकानेर	गणित	06.06.51	30.06.2011
10	महेन्द्रसिंह चौधरी, बानसूर, अलवर	गणित	01.07.51	30.06.2011
11	हीरालाल धायल, रींगस, सीकर	गणित	20.07.51	31.07.2011
12	रामगोपाल लढढा, गु0गो0सिंह, उदयपुर	गणित	05.07.51	31.07.2011
13	चांदमल जैन, देवली, टोंक	गणित	01.09.51	31.08.2011
14	बन्नालाल यादव, इटावाभोपजी, जयपुर	गणित	23.08.51	31.08.2011
15	रामेश्वरलाल शर्मा, बिजौलिया, भीलवाड़ा	गणित	24.10.51	31.10.2011
16	जहूर मोहम्मद, खान, सोजतनगर, पाली	गणित	01.11.51	31.10.2011
17	मोटाराम भाम्भू, गोयनका, चूरू	गणित	21.11.51	30.11.2011
18	श्यामसुन्दर गुप्ता, सार्दुलशहर, श्रीगंगानगर	गणित	01.12.51	30.11.2011
19	देवेन्द्रसिंह राणा, जैन गुरुकुल ब्यावर, अजमेर	गणित	01.01.52	31.12.2011
20	ओमबाबू शर्मा, माणक चौक, जयपुर	गणित	25.12.51	31.12.2011
21	सत्यनारायण विजय, गंगधार, झालावाड़	गणित	12.01.52	31.01.2012
22	हरीशकुमार केशवानी, जवाहर, अजमेर	गणित	23.03.52	31.03.2012
23	मांगेराम मिश्रा, श्यामपुरा मैनाना, झुंझुनु	गणित	15.03.52	31.03.2012
24	महेन्द्रसिंह कोठारी, घासा, उदयपुर	गणित	11.03.52	31.03.2012
25	दुष्यन्तकुमार व्यास, खान्दूकॉलोनी, बांसवाड़ा	गणित	31.03.52	31.03.2012

लगातार.....2

उक्त प्राध्यापकों के विरुद्ध राजस्थान सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16, 17 के तहत विभागीय जॉच विचारधीन/प्रस्तावित नहीं है । यह प्रमाण पत्र आदेश जारी होने की तिथि तक ही मान्य है ।


उक्त प्राध्यापक की स्कूली शिक्षा के पद पर नियुक्ति/पददोनाति अवकाशकालीन रिक्त पद पर अथवा अपने पद के कार्य के अतिरिक्त उच्च पद का अस्थाई रूप से संपादित करने हेतु नहीं की थी । अतः राजस्थान सेवा नियम 250(सी) के तहत यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है ।

  
आयुक्त,  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर

दिनांक:- 25-2-2011

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-3/सेवानिवृति/2011-12/  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 01 निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर
- 02 संबंधित संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- 03 संबंधित उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
- 04 संबंधित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
- 05 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मा0)
- 06 संबंधित संस्था प्रधान
- 07 संबंधित प्राध्यापक
- 08 निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त-निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर